संख्याः 102-दो(1)/XXXVI(1)(2)/2006

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2 देहरादून : दिनांक : 23 मार्च, 2007

विषयः न्यायिक आवासीय परिसर, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

--------

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-547/UHC/Admin.B/Const./2006, दिनांक 22.2.2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्यायिक आवासीय परिसर, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में पुराने मुन्सिफ आवास की विशेष मरम्मत, टाईप-4 के 04 आवासों की बाह्य रंगाई-पुताई के कार्य एवं चहारदीवारी के उच्चीकरण के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में रु० 6,45,000/- के आगणन के विरुद्ध टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत रु० 6,00,000/- (छः लाख रुपये मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु० 6,00,000/- (छः लाख रुपये मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तद्‌परान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तद्‌परान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(5) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(7) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई हैं, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(8) कार्य कराते समय यह सुनिश्चित करले कि वार्षिक अनुरक्षण से सम्बन्धित नियमों एवं नार्मस से अधिक किसी भी स्थिति में व्यय न को जाय । इसका पूर्ण दायित्व कार्यकारी इकाई का होगा ।

(9) निमार्ण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय ।

(10) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होगें ।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

3. इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2014 न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-00-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा ।

4. यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-149 /XXVII(5)/2007, दिनांक 23.3.07 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या-102-दो(1)/XXXVI(1)(2)/2006-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. जिला न्यायाधीश, ऊधमसिंहनगर ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर ।
5. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड,, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर ।
7. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
8. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

( आलोक कुमार वर्मा )
अपर सचिव ।



2-30307050 ।